"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 173] रायपुर, सोमवार, दिनांक 1 मई 2017 — वैशाख 11, शक 1939

स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 27 अप्रैल 2017

अधिसूचना

क्रमांक एफ 14–12/2016/20–3.– भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय छात्र सेना, अधीनस्थ चतुर्थ श्रेणी सेवा में भर्ती तथा सेवा की शर्तों के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.**–(1) ये नियम छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय छात्र सेना, अधीनस्थ चतुर्थ श्रेणी सेवा भर्ती नियम, 2017 कहलायेंगे।

   (2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना.**– ये नियम, इन नियमों में यथा संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. **परिभाषाएं.**–इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

   (क) सेवा के संबंध में "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है संचालक, राष्ट्रीय छात्र सेना, छत्तीसगढ़ या ऐसे प्राधिकारी से है, जिसे सेवा में नियुक्त करने की शक्ति है या शासन द्वारा पद दिया गया है;

   (ख) "समिति" से अभिप्रेत है नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित चयन समिति;

   (ग) "परीक्षा" से अभिप्रेत है नियम 5 के अधीन सेवा में भर्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षा;

   (घ) "शासन" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन;

   (ङ) "राज्यपाल" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ के राज्यपाल;

   (च) "अनुसूची" से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न अनुसूची;

(छ) ''अनुसूचित जाति'' से अभिप्रेत है भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथा विनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति;

(ज) ''अनुसूचित जनजाति'' से अभिप्रेत है भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथा विनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजाति;

(झ) ''अन्य पिछड़े वर्ग'' से अभिप्रेत है राज्य शासन द्वारा समय–समय पर यथा संशोधित अधिसूचना क्र. एफ 8–5–पच्चीस–4–84, दिनांक 26 दिसम्बर, 1984 द्वारा यथा विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग;

(ञ) ''सेवा'' से अभिप्रेत है छत्तीसगढ राष्ट्रीय छात्र सेना, चतुर्थ श्रेणी अधीनस्थ सेवा;

(ट) ''राज्य'' से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य।

4. **वर्गीकरण तथा वेतनमान इत्यादि.**– सेवा का वर्गीकरण, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या तथा उससे संलग्न वेतनमान, पदों में भर्ती का तरीका, आयु सीमा, अर्हतायें एवं पदों से संबंधित सेवा की अन्य शर्तें, इन नियमों से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट अनुसार होंगे :

परन्तु शासन, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या तथा वेतनमान में, समय–समय पर, या तो स्थायी या अस्थायी आधार पर, वृद्धि या कमी कर सकेगा।

5. **भर्ती का तरीका.– (1)** इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात्, सेवा में भर्ती, प्रतियोगिता परीक्षा या मेरिट के आधार पर चयन के माध्यम से, सीधी भर्ती द्वारा तथा सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा।

(2) राष्ट्रीय छात्र सेना प्रमाणपत्र रखने वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी।

6. **आरक्षण.**– (1) सीधी भर्ती के पदों के लिए आरक्षण, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) के उपबन्धों के अनुसार होगा।

(2) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिये पदोन्नति में आरक्षण, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के उपबन्धों के अनुसार होगा।

(3) महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार होगा।

7. **शिथिलीकरण.**– इन नियमों में दी गई किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिस पर ये नियम लागू होते हैं, ऐसी रीति से कार्यवाही करने की राज्यपाल की शक्ति को, जो उसे न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत हो, सीमित या कम करती है:

परन्तु कोई मामला ऐसी रीति से नहीं निपटाया जायेगा, जो इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिए कम अनुकूल हो।

8. **व्यावृत्ति.**– इन नियमों में दी गई कोई भी बात, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों, ऐसे शासकीय कर्मचारी, जिसकी मृत्यु सेवावधि के दौरान हुई हो, के परिवार के किसी एक सदस्य को अनुकम्पा नियुक्ति, निःशक्त व्यक्तियों तथा अन्य श्रेणियों से संबंधित अन्य व्यक्तियों के लिये उपबंधित आरक्षण तथा अपेक्षित अन्य शर्तों को प्रभावित नहीं करेगी तथा जो राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में, समय समय पर, बनाये गये नियमों या जारी किए गए आदेशों के अनुसार विनियमित होगी।

9. **निरसन.**– इन नियमों के तत्स्थानी तथा इन नियमों के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त समस्त नियम, इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं :

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन दिया गया कोई भी आदेश या की गई कोई कार्रवाई, इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्रवाई समझी जायेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप भटनागर, संयुक्त सचिव.

अनुसूची
(नियम 2 देखिये)

स. क्र.	कर्तव्य पद का नाम	पदों की कुल संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान एवं ग्रेड वेतन	सीधी भर्ती या पदोन्नति या स्थानान्तरण के माध्यम से भरे गये कर्तव्य पदों की संख्या का प्रतिशत	केवल सीधी भर्ती के लिये		परिवीक्षा या परीक्षण की कालावधि, यदि कोई हो	पदोन्नति के मामले में सेवा की अर्हकारी कालावधि	पद जिससे पदोन्नति की जानी है	नियुक्ति प्राधिकारी
						आयु सीमा	आवश्यक शैक्षणिक अर्हता				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	दफ्तरी	01	चतुर्थ श्रेणी	4750–7440+ ग्रेड पे 1400	100% पदोन्नति के माध्यम से	—	—	—	5 वर्ष (श्रेष्ठता सह वरिष्ठता के आधार पर)	भृत्य	संचालक, एनसीसी, छत्तीसगढ़ संचालक, स्थानीय समस्त एनसीसी ग्रुप एवं दफ्तरी के पद पर पदोन्नति हेतु श्रेष्ठता सह वरिष्ठता के आधार पर, भृत्यों की एक संयुक्त पदक्रम सूची संधारित की जायेगी
2.	लश्कर	156	—तदैव—	4750–7440+ ग्रेड पे 1400	75% सीधी भर्ती द्वारा तथा 25% पदोन्नति द्वारा	18 से 35 वर्ष		2 वर्ष	5 वर्ष	भृत्य/ स्वीपर/ बोट कीपर/ चौकीदार	1. एनसीसी ग्रुप मुख्यालय में ग्रुप कमांडर एवं एनसीसी इकाईयों में कमांडिंग ऑफिसर 2. संचालक एनसीसी छ. ग. , लश्करों के 25% पदों को पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे। संचालक, समस्त एनसीसी ग्रुप मुख्यालयों एवं इकाईयों के भृत्य, स्वीपर, बोट कीपर तथा चौकीदार की एक संयुक्त पदक्रम सूची संधारित की जायेगी।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3.	बोट–कीपर	03	–तदैव–	4750–7440+ ग्रेड पे 1400	100% सीधी भर्ती	18 से 35 वर्ष	8वीं कक्षा परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए	–तदैव–	–	–	(1) संचालनालय, एनसीसी ग्रुप में संचालक (2) एनसीसी ग्रुप मुख्यालय में कमांडर (3) एनसीसी इकाईयों में कमांडिंग ऑफिसर
4.	फेरियर	02	–तदैव–	4750–7440+ ग्रेड पे 1400	–तदैव–	18 से 35 वर्ष	–तदैव–	–तदैव–	–	–	–तदैव–
5.	सइस	14	–तदैव–	4750–7440+ ग्रेड पे 1400	–तदैव–	18 से 35 वर्ष	–तदैव–	–तदैव–	–	–	–तदैव–
6.	भृत्य	18	–तदैव–	4750–7440+ ग्रेड पे 1300	–तदैव–	18 से 35 वर्ष	–तदैव–	–तदैव–	–	–	–तदैव–
7.	चौकीदार	16	–तदैव–	4750–7440+ ग्रेड पे 1300	–तदैव–	18 से 35 वर्ष	–तदैव–	–तदैव–	–	–	–तदैव–
8.	स्वीपर	16	–तदैव–	4750–7440+ ग्रेड पे 1300	–तदैव–	18 से 35 वर्ष	–तदैव–	–तदैव–	–	–	–तदैव–
9.	कुक	1	–तदैव–	4750–7440+ ग्रेड पे 1300	–तदैव–	18 से 35 वर्ष	–तदैव–	–तदैव–	–	–	–तदैव–

टीप – छत्तीसगढ़ राज्य के वास्तविक निवासी अभ्यर्थियों के लिये, उच्चतर आयु सीमा, शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी किये गये निर्देशों के अनुसार शिथिलनीय होगी।

Naya Raipur, the 27th April 2017

NOTIFICATION

No. F 14-12/2016/20-3. — In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following rules relating to recruitment and conditions of service to the Chhattisgarh National Cadet Corps, Sub-ordinate Class-IV Services, namely:-

RULES

1. **Short title and commencement.-** (1) These rules may be called the Chhattisgarh National Cadet Corps, Sub-ordinate Class-IV Services Recruitment Rules, 2017.

   (2) These rules shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. **Application.-** These rules shall apply to the posts specified in column (2) of the Schedule as appended to these rules.

3. **Definitions.-** In these rules, unless the context otherwise requires,-

   (a) "Appointing Authority" in respect of the Service means the Director, National Cadet Corps, Chhattisgarh or such authority to whom power of appointment to the service or post has been delegated by the Government;

   (b) "Committee" means the Selection Committee approved by the Appointing Authority;

   (c) "Examination" means the competitive examination for recruitment of the service under rule 5;

   (d) "Government" means the Government of Chhattisgarh;

   (e) "Governor" means the Governor of Chhattisgarh;

   (f) "Schedule" means the Schedule appended to these rules;

   (g) "Scheduled Castes" means the Scheduled Castes as specified in relation to this State under Article 341 of the Constitution of India;

   (h) "Scheduled Tribes" means the Scheduled Tribes as specified in relation to this State under Article 342 of the Constitution of India;

   (j) "Other Backward Classes" means Other Backward Classes of citizens as specified by the State Government vide Notification No. F 8-5-XXV-4-84, dated 26th December, 1984, as amended from time to time.

   (k) "Service" means the Chhattisgarh National Cadet Corps Sub-ordinate Class-IV services;

   (l) "State" means the State of Chhattisgarh.

4. **Classification and scale of pay etc.-** The classification of the service, the number of posts included in the service and the scale of pay attached thereto, the method of recruitment to the posts, age limit, qualifications and other conditions of service relating to the posts shall be as specified in the Schedule appended to these rules :

   Provided that the Government may, from time to time, add to or reduce the number of posts and pay scale included in the service, either on a permanent or temporary basis.

5. **Method of recruitment.** – (1) Recruitment to the service, after the commencement of these rules, shall be made by direct recruitment, through competitive examination or selection on the basis of merit and by promotion of members of the service.

   (2) Priority shall be given to the candidates who have National Cadet Corps certificate.

6. **Reservation-** (1) Reservation for the posts of direct recruitment shall be made in accordance with the provisions of the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargaon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No.21 of 1994).

(2) Reservation in promotion for the candidates of Scheduled Castes and Scheduled Tribes shall be made in accordance with the provisions of the Chhattisgarh Civil Services (Promotion) Rules, 2003.

(3) Reservation for women candidates shall be made in accordance with the provisions of the Chhattisgarh Civil Services (Special Provision for Appointment of Women) Rules, 1997.

7. **Relaxation.-** Nothing in these rules shall be construed to limit or abridge the power of the Governor to deal with the case of any person, to whom these rules apply in such manner, as may appear to him to be just and proper :

Provided that the case shall not be dealt with in any manner less favorable to him than that provided in these rules.

8. **Saving.-** Nothing in these rules shall affect the reservation and other conditions required to be provided for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, Ex-servicemen, Compassionate appointment to one member of the family of the Government employees who dies during service period, persons with disability and other persons belonging to other categories and shall be regulated in accordance with the rules made or orders issued by the State Government, from time to time, in this regard.

9. **Repeal.-** All rules, corresponding to these rules and in force immediately before the commencement of these rules are hereby repealed in respect of matters covered by these rules :

Provided that any order made or any action taken under these rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
PRADEEP BHATNAGAR, Joint Secretary.

SCHEDULE
(See rule 2)

Sr. No.	Name of the duty post	Total number of posts	Classification	Pay Scale	Percentage of number of duty posts to be filled in through Direct Recruitment or Promotion or Transfer	Only for Direct Recruitment		Period of Probation or trial, if any	Qualifying period of services in case of promotions	Posts from which promotion is to be made	Appointing Authority
						Age limit	Necessary educational qualification				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Daftari	01	Class-IV	4750-7440 + Grade Pay 1400	100% through promotion	-	-	-	5yrs (on basis of merit cum seniority)	Peon	Director, NCC, Chhattisgarh Director shall maintain a Combined gradation list of peons of all local NCC, GP and units for promotion to the post of Dafatari on merit cum seniority basis
2.	Lascar	156	--do--	4750-7440 + Grade Pay 1400	75% by direct recruitment and 25% by promotion	18 to 35 years	Should have passed 8th class examination	2 years	5yrs	Peon/ sweeper/Boat Keeper /Chowkidar	1. Group Commander in NCC Group Headquarters and Officer Commanding in NCC units 2. Director NCC C.G. will fullup 25% of posts of lascars by promotion. Director will maintain a combined gradation list of peons, Sweepers Boat keepers and Chowkidar of all NCC Group HQs and units.
3.	Boat-keeper	03	-do-	4750-7440 + Grade Pay 1400	100% Direct recruitment	18 to 35 years	Should have passed 8th class examination	-do-	-	-	(1) Director in NCC , Directorate, Group (2) Commander in NCC Group Headquarters (3) Officer Commanding in NCC Units.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5.	Syes	14	-do-	4750-7440 + Grade Pay 1400	-do-	18 to 35 years	-do-	--do-	-	-	-do-
6.	Peon	18	-do-	4750-7440+ Grade Pay 1300	-do-	18 to 35 years	-do-	--do-	-	-	-do-
7.	Chowkidar	16	-do-	4750-7440+ Grade Pay 1300	-do-	18 to 35 years	-do-	--do-	-	-	-do-
8.	Sweeper	16	-do-	4750-7440+ Grade Pay 1300	-do-	18 to 35 years	-do-	--do-	-	-	-do-
9.	Cook	1	-do-	4750-7440+ Grade Pay 1300	-do-	18 to 35 years	-do-	---do-	-	-	-do-

Note – The upper age limit shall be relaxable for candidates who are bonafide resident of State of Chhattisgarh, as per the instructions issued by the General Administration Department of the Government, from time to time.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.